

पत्र सं०-विधि-4(2)/सा०पत्रा०/2023-24/

307

राज्य कर ।

प्रेषक,

आयुक्त,
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 17 अगस्त, 2023

महोदय,

कृपया शासन के पत्र सं०-1067/11-2-2023-9(19)/17.टी०सी०-1, दिनांक 25-07-2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, गोपन विभाग के अशासकीय पत्र सं०-4/2/9/2023-सी०एक्स(1), दिनांक 28-06-2023 के माध्यम से मा० मंत्रिपरिषद द्वारा पारित आदेश के माध्यम से मंत्रिपरिषद को अवगत कराया गया है कि दानवीर भामाशाह का जन्म राजस्थान के मेवाड़ राज्य में वर्तमान पाली जिले के सादड़ी गाँव में 29 जून, 1547 को ओसवाल जैन परिवार में हुआ था । वह एक योद्धा, प्रसिद्ध सेनापति और महाराणा प्रताप के करीबी थे । भामाशाह का निष्ठापूर्ण सहयोग महाराणा प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ । मातृ-भूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप का सर्वस्व होम हो जाने के बाद भी उनके लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए भामाशाह ने अपनी सम्पूर्ण धन-सम्पदा अर्पित कर दी, जिससे महाराणा प्रताप ने पुनः सैन्य शक्ति संगठित करके मुगल शासकों को पराजित किया और फिर से मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया ।

उत्तर प्रदेश शासन, द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है, कि दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस को राज्य सरकार द्वारा "व्यापारी कल्याण दिवस" के रूप में मनाए जाये । तत्क्रम में अवगत कराना है कि दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस की तिथि 29-06-1547 है ।

अतः दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस दिनांक 29 जून को राज्य कर विभाग द्वारा "व्यापारी कल्याण दिवस" के रूप में आगामी वर्ष 2024 अर्थात् दिनांक 29-06-2024 से वार्षिक मनाया जाएगा ।

यह पत्र आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

(ई-मेल के माध्यम से)

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)

अपर आयुक्त (विधि) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृ०प०सं० एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 2- अपर आयुक्त (प्रशासन)/(लेखा), राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 3- अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ को उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुपालनार्थ ।
- 4- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को उक्त की प्रति विभागीय पोर्टल के नोटिस बोर्ड पर अपलोड किये जाने हेतु ।

14/08/23

14/08/23

14/08/23

14/08/23

अपर आयुक्त (विधि) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।